

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।  
पत्रांक- 188/ ग्रा0अ0से0/ लेखा-ठेके0पंजी0-92/ 2018-19/ दिनांक- 14-01 2019  
पंजीकरण संख्या-368/श्रेणी 'ए'/मार्ग निर्माण/2018

--- पंजीकरण प्रमाण पत्र ---

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-1940 दिनांक-09.01.2019 से प्राप्त मैसर्स बी0पी0 इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री भारत प्रकाश गुप्ता, निवासी-370 कटिया टोला, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर का श्रेणी-"ए" में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स बी0पी0 इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री भारत प्रकाश गुप्ता, निवासी-370 कटिया टोला, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी-"ए" में ठेकेदारी हेतु दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शाहजहाँपुर के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शाहजहाँपुर।
  - 2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
  - 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआईयू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  - 4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
  - 5- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी0/नियो0) उ0प्र0 लखनऊ।
  - 6- मैसर्स बी0पी0 इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री भारत प्रकाश गुप्ता, निवासी-370 कटिया टोला, तहसील सदर, जिला-शाहजहाँपुर (मो0नं0-9415035180 ई-मेल [bharatgupta975@gmail.com](mailto:bharatgupta975@gmail.com)) को निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा।



मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)  
ग्रामीण अभियन्ता विभाग  
उ0प्र0 लखनऊ

मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।